

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 अगस्त 2023 — श्रावण 16, शक 1945

परिवहन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 अगस्त 2023

### आधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/आठ-परि./2022.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक एक, दो एवं तीन से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

	(1)	(2)
‘एक	मोटर साईकिल— जिसका लदान रहित वजन – (क) 70 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है. (ख) 70 कि.ग्रा. से अधिक है, जिसका उपयोग चाहे ट्रेलर खींचने के लिए किया जाता है या नहीं.	25.00 40.00
दो	मोटर कार जिसका लदान रहित वजन – (क) 800 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है. (ख) 800 कि.ग्रा. से अधिक किन्तु 1600 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है. (ग) 1600 कि.ग्रा. से अधिक किन्तु 2400 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है. (घ) 2400 कि.ग्रा. से अधिक किन्तु 3200 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है. (ङ) 3200 कि.ग्रा. से अधिक.  प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर, जिसका लदान रहित वजन—  (क) 1000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है. (ख) 1000 कि.ग्रा. से अधिक	95 140.00 165.00 195.00 225.00  40.00 95.00
तीन	रूपांतरित यान (अशक्त यात्री गाड़ी)	10.00”

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर.पी. पाण्डेय, उप—सचिव.

Atal Nagar, the 1st August 2023

#### NOTIFICATION

No. F 5-5/VIII-Trans./2022.— In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and sub-section (1) of Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, makes, the following further amendment in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, the same having been previously published as required by proviso of sub-section (1) of Section 23 of the said Act, namely:-

#### AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,-

For the entries relating to serial number I, II and III of First Schedule, the following shall be substituted, namely:-

	(1)	(2)
I.	MOTOR CYCLE- The unladen weight of which – (a) does not exceed 70 kgs. (b) exceeds 70 kgs. whether used for drawing a trailer or not.	25.00 40.00
II.	MOTOR CAR- The unladen weight of which – (a) does not exceed 800 kgs. (b) exceeds 800 kgs. but does not exceed 1600 kgs. (c) exceeds 1600 kgs. but does not exceed 2400 kgs. (d) exceeds 2400 kgs. but does not exceed 3200 kgs (e) exceeds 3200 kgs.  Tax for each trailer the unladen weight of which – (a) does not exceed 1000 kgs. (b) exceed 1000 kgs.	95.00 140.00 165.00 195.00 225.00  40.00 95.00
III.	INVALID CARRIAGE-	10.00”

This Notification shall be effective from the date of publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
R.P. PANDAY, Deputy Secretary.